न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- भवानी सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 13/2019

वादी :- झुमरराम पुत्र श्री मोतीराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मदनाराम पुत्र श्री मोतीराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामूराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. एस.बी.आई. बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :- वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
प्रति. संख्या 1 व 2 की ओर से श्री पारस चौहान एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक 12/11/22

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 846 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 847 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 849 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा उक्त खसरा नम्बर 844 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का, खसरा नम्बर 846 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व खसरा नम्बर 847 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व खसरा नम्बर 849 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का स्थित है। इस प्रकार यह भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी अविभाजित है एवं माप व सीमांकन के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नही हुआ है। हाल ही में वादग्रस्त भूमि में वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर खड़ाई करने गये तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया को खड़ाई करने गये तो प्रतिवादीगण ने वादी को खडाई करने से मना कर दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को जमीन का बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि पर खड़ाई का कार्य करने से मना कर दिया व खेत में खड़ाई करने से भी रोक दिया तथा जमीन का बंटवाड़ा करने से मना कर दिया इसलिए वादी की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादी के हक हिस्से की भूमि जो प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त भूमि पर वादीया को उनके हिस्से अनुसार खडाई का कार्य आदि करने से मना कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी समय वादी को अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त: की भूमि से बेदखल करने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कर सकते है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के वास्ते न्यायहित में रोका जाना जरूरी है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम खेजडला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व खसरा नम्बर 846 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा की भूमि में वादी का 1/2 वॉ हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व खसरा नम्बर 847 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व खसरा नम्बर 849 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 में वर्णित हिस्से माफिक भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर जारी कर पृथक से तरमीम की कार्यवाही कर रास्ते को छोड़ते हुए पृथक से लगान कायम किये जाने के निर्देश तहसीलदार बिलाड़ा को जारी फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 04.04.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 844 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 846 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 847 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 849 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा मे स्थित वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम खेजड़ला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 0.1901 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.8252 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2063 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.1358 हैक्टेयर वादी झुमरराम के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 846 रकबा 1.0153 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2063 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 मदनाराम पुत्र मोतीराम के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12/11/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी :- झुमरराम पुत्र श्री मोतीराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मदनाराम पुत्र श्री मोतीराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामूराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. एस.बी.आई. बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 13/2019

निर्णय दिनांक :- 12/11/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री पारस चौहान एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार हाजिर होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजड़ला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 0.1901 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.8252 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2063 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.1358 हैक्टेयर वादी झुमरराम के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 846 रकबा 1.0153 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.2063 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 मदनाराम पुत्र मोतीराम के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/11/22 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट –इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा